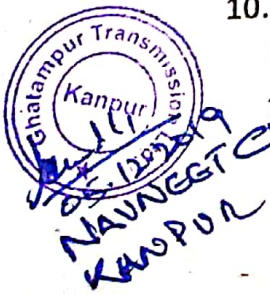


उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/ 14-03-1980 /82 वन
अनुभाग -3, दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें

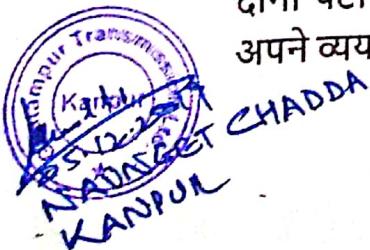
1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/ आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्रुगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, अन्य किसी प्रयोजन हेतु कदापि नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है की मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है ।
5. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी , अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान संबंधित विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी की देख रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा ।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन्य जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा की वन संपदा की क्षति को एवं अन्य वन जंतुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की व्यवस्था करायी जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः विना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी।



हस्तांगीय निदेशक
वाणिज्यिक वानिकी प्रभाग
अवध

Name-Satish Kumar
Date-13/02/2020

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/ सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गी का मामुली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न न होगा और नयी सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को देना होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत् लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खंभों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू - क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।



ab
Signature
आयोग निदेशक
आयोजक व निजी प्रशासक
Ab
अधीक्षक

Name - Satish Kumar
Date - 13/02/2020

Full Title of The Project: Agra- Greater Noida 765 kV S/C Transmission Line
File No.: FP/UP/TRANS/41685/2019
Date of Proposal: 31-08-2019

17. उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तों का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं नवनीत चड्ढा, वरिष्ठ प्रबंधक, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड प्रमाणित करता हूँ की घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

Place: Kanpur

Date: 05/11/2019

C/S

[Signature]

प्रमाणित निदेश
प्रमाणित व निदेश प्रमाणित
प्रमाणित

Name - Satish Kumar

Date - 13/02/2020

[Signature] 2019
Naymeet Chadda
Senior Manager